न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2/2017 जिला अलवर

रामकिशोर पुत्र सोनपाल, जाति माली, निवासी– ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरस्वती पत्नी कुन्दन, जाति माली, निवासी– ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर। हाल निवासी खरवावली का नंगला, तहसील कठुमर, जिला अलवर ।
2. मोहन पुत्र सोनपाल जाति माली निवासी– ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर ।
4. शारदा पत्नि शिवराम, जाति माली, निवासी– ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।हाल निवासी खरवावली का नंगला तहसील कठूमर, जिला अलवर ।
5. मु. रामप्यारी पत्नि सोनपाल, जातिमाली निवासी– ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर ।
6. सुरेश पुत्र नवल , जाति माली निवासी दुदावल
7. हरि सिंह पुत्र नवल, जातिमाली निवासी दुदावल
8. महेश पुत्र नवल जातिमाली निवासी दुदावल
9. बच्चू पुत्र नवल जाति माली निवासी दुदावल, तहसील नगर, जिला भरतपुर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर प्रथम, अलवर
दिनांक 11.8.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री लालचन्द जाट
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री बालेन्द्र सुमन

निर्णय

दिनांक– 10.9.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर प्रथम, अलवर के निर्णय दिनांक 11.8.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम सौखर, तहसील कठूमर, जिला अलवर के नामांतरकरण संख्या 447 में अंकित आराजी का खातेदार सोनपाल था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 447 नायब तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर द्वारा रामकिशोर व मोहन पि. सोनपाल के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार सोनपाल की पुत्री मु. सरस्वती द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के समक्ष प्रस्तुत की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.8.2016 द्वारा मु. सरस्वती को मृतक सोनपाल की पुत्री होने से उसका उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में अधिकार होना माना है तथा तहत अदालत ने वारिसान की बिना जॉच किये निर्णय पारित करने को उचित नहीं ठहराते हुये अपील अपीलान्ट

स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 447 दिनांक 12.5.81 निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार कठूमर को मृतक सोनपाल के वारिसान की जॉच कर विधि अनुसार वारिसान का नाम दर्ज किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है । अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.12.2016 प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 32 साल के निराशाजनक विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार करने में विधिक भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के बजाय रेस्पोंडेन्ट के उपर तथ्यों को साबित करने का भार डालते हुये अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को या किसी भी तथ्य के संबंध में कथन करने वाले व्यक्ति को उस कथन का सही होना साबित करना पडता है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकार नहीं थी इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । रेस्पोंडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लेनी चाहिये थी, जो नहीं ली गई । अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरन्दाज करने में विधिक भूल की है । अपीलान्ट बीमार होने के कारण उसे अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे न्याय हित क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी का खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का पिता सोनपाल पुत्र मंगली था । खातेदार सोनपाल के विधिक वारिस उसके दो पुत्र रामकिशोर व मोहन तथा तीन पुत्रियॉ रामकली, शारदा व सरस्वती तथा बेवा रामप्यारी थी । खातेदार सोनपाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये केवल पुत्रान रामकिशोर व मोहन के नाम तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिस्सा मिलना चाहिये । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व रेस्पोंडेन्ट्स जो कि मृतक सोनपाल के विधिक वारिसान है, को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की अपील में मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार की है तथा प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये मृतक सोनपाल के वारिान की जॉच कर विधि अनुसार वारिसान का नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे । उने द्वारा न्यायिक रूलिंग ए.आई.आर. 2018 पेज 721 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण क तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार सोनपाल की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार सोनपाल की विरासत का नामांतरकरण संख 447 नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा दिनांक 12.5.81 को मृतक के पुत्रान रामकिशोर व मोहन के नाम तस्दीक किया है , जिसके खिलाफ मृतक की पुत्री मु. सरस्वती की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2016 द्वारा मु. सरस्वती को मृतक सोनपाल की पुत्री होने से उसका उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में अधिकार होना माना है तथा तहत अदालत ने वारिसान की बिना जॅाच किये निर्णय पारित किया गया है जिसे उचित नहीं ठहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 447 दिनांक 12.5.81 निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार कठूमर को मृतक सोनपाल के वारिसान की जॅाच कर विधि अनुसार वारिसान का नाम दर्ज किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पिता की भूमि में उसके पुत्र , पुत्रियॅा एवं विधवा का विधिक रूप से हक व अधिकार बनता है , लेकिन इस प्रकरण में मृतक सोनपाल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक की पुत्रियॅा एवं विधवा को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम ही तस्दीक किया है, जिसे विधिक नहीं ठहराया जा सकता । नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण बिना वारिसान की जॅाच किये तथा विधिक वारिस मृतक की पुत्रियों एवं विधवा को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित/हितबद्ध व्यक्ति के हितों के विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.8.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 447 दिनांक 12.5.81 निरस्त कर प्रकरण नायब तहसीलदार कठूमर को मृतक सोनपाल के वारिसान की जॅाच कर विधि अनुसार वारिसान का नाम दर्ज किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 10.9.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर